भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2556
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन

2556. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री विजय बघेलः
श्री दुलू महतोः
श्री भोजराज नागः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्री राजकुमार चाहरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई पहलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) खाद्य फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने चावल और गेहूं की जैव-फोर्टिफाइड किस्मों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं;
(ङ) यदि हां, तो विशेषकर दुर्ग संसदीय क्षेत्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सीधी संसदीय क्षेत्र के लाभार्थी किसानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज (मक्का और जौ), वाणिज्यिक फसलें (कपास, पटसन और गन्ना) और पोषक अनाज (श्री अन्न) के उत्पादन में वृद्धि करना है। यद्यपि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' नामक एक पृथक मिशन का अनुमोदन किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (केंद्रीय हिस्सा) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधि का विवरण संलग्न है।

एनएफएसएनएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण, प्रमाणित बीजों (पोषक अनाज) के उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन उपायों, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है; साथ ही, राज्यों में एजेंसियों द्वारा नई विकसित किस्मों/हाइब्रिडों (पोषक अनाज) के बीजों के मिनीकिट भी वितरित किए जा रहे हैं। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केंद्रों को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रौद्योगिकी सहायता और किसानों को प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी सहयोग प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिलों की पहचान करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बशर्ते कि कम उत्पादकता लेकिन उच्च क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाए।

एनएफएसएनएम के तहत, बायो-फोर्टिफाइड सहित नवीनतम किस्मों के प्रोत्साहन के लिए, प्रदर्शन के आयोजन के लिए, बीज उत्पादन के लिए और बीज वितरण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा चावल, गेहूं, मोटे अनाज (जौ और मक्का) और पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा और रागी) की बायो-फोर्टिफाइड किस्मों पर क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित करने की एक परियोजना वर्ष 2025-26 के दौरान एनएफएसएनएम के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

आईसीएआर ने वर्ष 2025-26 के दौरान एनएफएसएनएम के अंतर्गत दुर्ग के दो गांवों के 25 किसानों को लाभान्वित करते हुए 20.0 एकड़ में गेहूं की बायो-फोर्टिफाइड किस्म (एचआई-8759) के लिए क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन (सीएफएलडी) का आयोजन किया। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान, आईसीएआर ने फ्रंटलाइन प्रदर्शन के अंतर्गत 39.5 एकड़ में धान की बायो-फोर्टिफाइड किस्मों (जिंक राइस-1, जिंक राइस-2, जिंको राइस, प्रोटोजेन) का प्रदर्शन किया, जिससे 12 गांवों के 40 किसान लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, सीधी जिले में, आईसीएआर ने 10 एकड़ में धान की बायो-फोर्टिफाइड किस्म सीआर धान 310 का प्रदर्शन किया, जिससे पांच गांवों के 10 किसान लाभान्वित हुए और 10 एकड़ में गेहूं की बायो-फोर्टिफाइड किस्म डब्ल्यूबी02 का प्रदर्शन किया, जिससे चार गांवों के 10 किसान लाभान्वित हुए।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार के किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीधी संसदीय क्षेत्र के लाभार्थी किसानों का विवरण निम्नलिखित है;

क्र.सं.	**वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	2023-24	13,399
2	2024-25	21,383
3	2025-26	15,472

अनुबंध

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (केंद्रीय भाग) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधि

रु. करोड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	35.45	42.12	52.65
2	अरुणाचल प्रदेश	5.53	6.12	6.89
3	असम	107.24	124.00	132.47
4	बिहार	34.96	40.20	95.30
5	छत्तीसगढ़	80.82	43.33	74.74
6	गोवा	0.09	0.06	0.09
7	गुजरात	25.60	30.41	37.91
8	हरियाणा	22.56	22.73	23.77
9	हिमाचल प्रदेश	6.82	9.45	6.85
10	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	5.54	8.39	8.13
11	झारखंड	23.20	33.83	33.83
12	कर्नाटक	147.53	175.33	213.38
13	केरल	0.41	0.66	0.66
14	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.47	0.51	0.51
15	मध्य प्रदेश	183.61	261.06	269.41
16	महाराष्ट्र	141.38	209.36	203.09
17	मणिपुर	7.09	8.72	10.90
18	मेघालय	4.03	4.47	4.47
19	मिजोरम	2.53	2.83	2.83
20	नागालैंड	10.03	15.03	15.03
21	ओडिशा	52.95	57.57	99.93
22	पंजाब	2.11	2.84	3.54
23	राजस्थान	205.19	269.88	277.99
24	सिक्किम	4.27	5.89	5.30
25	तमिलनाडु	64.91	46.76	52.26
26	तेलंगाना	18.10	21.90	21.89
27	त्रिपुरा	5.97	7.03	6.94
28	उत्तर प्रदेश	119.81	125.40	125.40
29	उत्तराखंड	11.95	16.22	14.88
30	पश्चिम बंगाल	59.32	64.26	66.06
	कुल	**1389.48**	**1656.34**	**1867.09**

******